

प्रेस विज्ञप्ति

एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट(AHTU), श्रम विभाग एवम् चाइल्डलाइन बदायूं ने बाल भिक्षावृत्ति, बाल श्रम को रोकने हेतु चलाया जागरूकता अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में ।

आज दिनांक 08-04-2021 को एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट(AHTU), श्रम विभाग एवम् चाइल्डलाइन बदायूं ने लालपुल रोड, बड़ी ज्यारत, शेखुपुर व मीरा सराय मे बाल श्रम एवं बाल भिक्षा वृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया। कार्यक्रम में उपस्थित एएचटीयू प्रभारी निरीक्षक श्री अमृत लाल जी ने दुकानदारों व होटल मालिकों को बताया कि बाल श्रम करवाना अपराध की श्रेणी में आता है अगर कोई भी दुकानदार एवं होटल मालिक किसी भी बच्चे से बाल श्रम करवाता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी तथा बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण के बारे में बताया कि प्रत्येक बच्चे की उचित देखभाल व संरक्षण देना हमारा सबका प्रथम कर्तव्य है तथा कोई भी बच्चा शिक्षा से अछूता न रहे एवम् कहीं भी बच्चे के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए । नया सवेरा यूनिसेफ (श्रम विभाग)के तकनीकी रिसोर्स पर्सन श्री जीशान अंसारी ने श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा चाइल्डलाइन बदायूं के जिला समन्वयक कमल शर्मा ने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा बच्चा मिले जिसे सुरक्षा और देखभाल की जरूरत हो तो तुरंत चाइल्डलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर सूचना दे अथवा कोई भी बच्चा बाल श्रम एवं भीख मांगता हुआ मिले तो तुरंत 1098 पर सूचना अवश्य दें। अभियान के दौरान चिन्हित बच्चो के पुनर्वासन हेतु श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में 10 परिवारों का पंजीकरण कराया गया । इस मौके पर कॉन्स्टेबल अमरदीप, कुसुमलता, चाइल्डलाइन टीम सदस्य गौरव उपस्थित रहे।

सोशल मीडिया सेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,

जनपद बदायूं ।